न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 15/2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 06.03.2024 **निर्णय दिनांकः 07.05.2024**

अनवान

1–मोहन पुत्र नोला जाति बलाई निवासी किशनपुरिया, तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**प्रार्थी**

बनाम

1–चतरभुज पुत्र नोला जाति बलाई निवासी किशनपुरिया, तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता डालचन्द जाट
विपक्षी की ओर से :– अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 से 23 के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमिया ग्राम किशनपुरिया, पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमंद में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 84 व पुराना 89 के आराजी नम्बर 170 रकबा 0.0100, आराजी नम्बर 171 रकबा 0.3200, आराजी नम्बर 172 रकबा 0.0300, आराजी नम्बर 173 रकबा 0.3600, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.3500, आराजी नम्बर 185 रकबा 0.0600, आराजी नम्बर 265 रकबा 0.4900, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.5300, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.0800, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.6300, आराजी नम्बर 621 रकबा 0.1700 कुल किता 11 रकबा 3.0300 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या नया 179 व पुराना 84 आराजी नं. 250 रकबा 0.3300 कुल किता 1 रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों को वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 से 23 तक संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, भूमियां संयुक्त शामलाती होने से भूमियों का विकास नहीं हो पा रहा है तथा प्रार्थी अपने हक, हिस्से की भूमियों का उपयोग उपभोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, विपक्षी आए दिन प्रार्थी के हक, हिस्से की भूमियों में हस्तक्षेप करते है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि वह संयुक्त खातेदारी भूमि पर अपनी इच्छा अनुसार निर्माण कार्य कराएगा, प्रार्थी द्वारा समझाने पर भी नहीं मान

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

रहा है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 से 23 का अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। विपक्षी सं. 1 अपनी मनमर्जी अनुसार रोड पर स्थित कीमती भूमि पर पक्का निर्माण कार्य कराने पर आमादा हो रहा है। इसलिए विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक है एवं मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि जब तक वादग्रस्त भूमियों का नियमानुसार विभाजन नहीं जावे तब तक विपक्षी सं. 1 प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट हस्तक्षेप नहीं करे, न ही किसी प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि को अन्तरण करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, न तो यह कार्य स्वयं करे एवं न ही किसी नोकर, एजेन्ट, कारीगर आदि से ही करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी की फोटोप्रति व फोटो प्रस्तुत किए। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमियों का लगभग 45 वर्षों से भी अधिक समय से मौके पर मौखिक रूप से आपसी विभाजन होकर सभी खातेदार अपने हक, हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं प्रार्थी भी अपने हक, हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में उक्त वादग्रस्त भूमियां संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। विपक्षी एवं प्रतिवादी सं. 04, 05, 07, 12 एवं 23 द्वारा प्रार्थी के हक, कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। विपक्षी के हक कब्जे की भूमि पर आज से 40 वर्ष पूर्व मकान निर्माण कराया गया था एवं उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावे तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी की विपक्षी से द्वेषता है, इसलिए विपक्षी को परेशान करने के लिए झूठे तथ्य वर्णित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने हक, हिस्से की भूमि पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टिया मामला है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं यदि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो विपक्षी अपने हक, हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाएगा, जिससे विपक्षीगण को भारी अपूर्णिसय क्षति होगी, जिसकी पूति अर्थ में संभव नहीं होगी।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों को वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 01 एवं प्रतिवादी सं. 02 से 23 तक संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, भूमियां संयुक्त शामलाती होने से भूमियों का विकास नहीं हो पा रहा है तथा प्रार्थी अपने हक, हिस्से की भूमियों का उपयोग उपभोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। विपक्षी आए दिन प्रार्थी के हक, हिस्से की भूमियों में हस्तक्षेप करते है। विपक्षी सं. 01 अपनी मनमर्जी अनुसार रोड पर स्थित कीमती भूमि पर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पक्का निर्माण कार्य कराने पर आमादा हो रहा है। इसलिए विपक्षी सं. 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों का लगभग 45 वर्षों से भी अधिक समय से मौके पर मौखिक रूप से आपसी विभाजन होकर सभी खातेदार अपने हक, हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षी के हक कब्जे की भूमि पर आज से 40 वर्ष पूर्व मकान निर्माण कराया गया था एवं उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। हाईटेन्शन लाईन निकालने के लिए विपक्षी पीछे के तरफ कमरा बना रहा है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने हक, हिस्से की भूमि पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली में हुई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

प्रथम दृष्टिया :– विपक्षी के हक कब्जे की भूमि पर आज से 40 वर्ष पूर्व मकान निर्माण कराया गया था एवं उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने हक, हिस्से की भूमि पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिससे प्रथम दृष्टिया मामला विपक्षी के पक्ष मे साबित है।

सुविधा का सन्तुलन :– विपक्षी अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष मे साबित है।

अपूर्णिय क्षति :– विपक्षी अपने हक कब्जे की भूमि में यदि निर्माण कार्य करता है तो प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति नहीं होगी जिससे अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **07.05.2024** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)